

## कार्यालय, जिला परिषद, लखीसराय ।

### (अल्पकालीन निविदा)

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 19प0रा0/ दिनांक 29.03.2017 द्वारा लखीसराय जिला अन्तर्गत विभिन्न प्रखंडों में कुल 12 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करने के लिए आवश्यक उपस्कर एवं अन्य सामग्री क्रय करने हेतु विभिन्न इच्छुक/फर्म/ संस्थानों से नीचे लिखे शर्तों पर कोटेशन आमंत्रित की जाती है :-

- 1 विज्ञापन दाता:- उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जि०प० लखीसराय ।
- 2 कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय :- 22.07.2017 को 5.00 बजे अपराह्न तक ।
- 3 कोटेशन प्राप्ति का स्थान :- जिला परिषद, कार्यालय, लखीसराय ।
- 4 कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :- 24.07.2017 को 4.00 बजे अपराह्न में ।
- 5 कोटेशन खोलने का स्थान :- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कार्यालय भवन, लखीसराय ।
- 6 प्रति पंचायत सरकार भवन में आवश्यकता ।

क्र०	विवरण	प्रति पंचायत सरकार भवन हेतु आवश्यकता	दर प्रति पीस	कुल	कुल राशि सभी करो सहित
1	2	3		4	
1	Office Table T-8 (Godrej)	2		24	
2	Office Chair 5DO2R (Godrej)	12		144	
3	Office Chair CH7B(Godrej)	17		204	
4	Office Table T-31 (Godrej)	11		132	
5	Office Chair 710 2R (Godrej)	1		12	
6	Office Storwell Plain (Godrej)	4		48	
7	Office Rack 72" (Godrej)	4		48	
8	Waiting Chair Via w/o arm (Godrej)	5		60	
9	Celling Fan (Bajaj)	10		120	
10	Mike Set (Ahuja)	1		12	
11	Jug Steel (Branded)	4		48	
12	Glass Steel (Branded)	12		144	
13	Plastic Bucket (Branded)	4		48	
14	L.E.D Bulb (Branded)	20		240	
15	Plastic Chair (Supreme)	30		360	
16	Dari 20'x20" (Quality)	2		24	
17	Lock 7 lvr (Godrej)	12		144	

*Mans*



तकनीकि एवं वित्तीय शर्तें :-

1. निविदा दो अलग-अलग लिफाफे में होगी, जिसमें तकनीकि निविदा एवं वित्तीय उदत्त करना होगा।
2. वर्णित कार्यो में अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण के साथ देना होगा।
3. तकनीकि निविदा में सफल निविदादाता को ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा।
4. सामग्री प्रतिष्ठित आई0एस0आई0 मार्क की होनी चाहिए। (Green Guad Certificate/BIFMA Certificate)
5. आपूर्तिकर्ता को प्रस्तावित निविदा के लिए कंपनी का अधिकृत प्रमाण-पत्र निर्गत होना चाहिए, जिसमें कम्पनी द्वारा संबंधित सामग्रियों की अतिशीघ्र आपूर्ति, पूर्ण गुणवत्ता की गारंटी एवं वारंटी की जिम्मेवारी लेनी होगी।
6. अघतन के रूप में 50000.00 रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, लखीसराय के नाम से दर्ज होगा।
7. दर कार्य स्थल पर सामानों की दुलाई को लेकर किया जाएगा उन्हें किसी प्रकार अतिरिक्त दुलाई दर देय नहीं होगा।
8. कोटेशन के साथ अघतन आयकर एवं जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र देना होगा।
9. निविदादाता को कंपनी का अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र देना होगा।
10. आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गारंटी एवं वारंटी उदृत करना अनिवार्य होगा।
11. भुगतान संबंधी प्रक्रिया निधि के उपलब्धता एवं दर के अनुमोदन के पश्चात् ही होगा।
12. निविदादाता द्वारा क्रमांक 01 से 17 तक सामग्रियों का अलग-अलग कोटेशन दर अंकित करना अनिपार्य होगा, परन्तु सफल निविदादाता उन्हें धोषित किया जायेगा, जो उपरोक्त क्रमांक 01 से 17 तक दरों को जोड़कर निम्नतर होगा।
13. सामग्री का दर जी0एस0टी0 का आयकर सहित अंकित होना चाहिए। भुगतान के समय नियमानुसार और आयकर की राशि काटकर भुगतान किया जाएगा।
14. वैट या आयकर आदि का स्वच्छता प्रमाण पत्र संलग्न होनी चाहिए।
15. कम्पनी या फर्म का नाम काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ-पत्र मूल एवं निविदा पत्र के साथ संलग्न रहना चाहिए।
16. निविदा के साथ कैटलॉग एवं अन्य विशिष्टताओं का उल्लेख हो।
17. निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
18. सामग्री आपूर्ति के पूर्व अग्रिम देय नहीं होगा।
19. निविदा को रद्द या अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
20. सामग्री की जानकारी जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

- 8 -  
उप विकास आयुक्त-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
जिला परिषद, लखीसराय।

ज्ञापांक.....114...../दिनांक.....14.7.17  
प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपर्युक्त अल्पकालीन निविदा बेबसाईट [Lakhisarai.bih.nic.in](http://Lakhisarai.bih.nic.in) पर अपलोड किया ज्ञय।

उप विकास आयुक्त-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
जिला परिषद, लखीसराय।